

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0-123/2018

तारीखरजू:- 11/10/18

निर्णय दिनांक:-

सनवान:- शिवदयाल बनाम दीनदयाल वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा / इन्मेन्डेटरी घारा 188 रा0टि0एक्ट

क्र	फर्द अहकाम
118	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत इन्मेन्डेटरी / स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 188,88 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से वाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.12.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
13.11.2018	<p>वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर पत्रावली तलब करने एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से मुकदमा झोगे लडने नहीं बबल आर्घना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी एवं वादी वकील द्वारा मुकदमा झोगे नहीं चलोसे Not Press कर स्वारिज करने का कथन किया। ज्ञातः यह दावा Not Press में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फेसलत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज०)</p>

19/11/18
Not Press.
13.11.2018